

## फर्द अहकाम

### न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर  
किस्म मुकदमा - 84 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बनाम

विपक्षी :- श्री बाबरू  
पत्रावली संख्या : 94/24

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक 19.05.2025

पत्रावली पेश हुई। राजपैरोकार उपस्थित। प्रतिवादी के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। अनुपस्थित है। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। वादी की बहस पर गनन किया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा ग्राम रामेला पटवार हल्का रावना तहसील भीण्डर की आराजी न. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153 जो प्रतिवादी के नाम हिस्से अनुसार दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त आराजी में से प्रतिवादी द्वारा बिना स्वीकृति के पेड़ को काट दिया गया जिसका वजन 11.50 क्विंटन के लगभग है जिसे तहसीलदार द्वारा उक्त लकड़ी को जब्त कर मामला धारा 84 के तहत पेश किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपना जवाब पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी अनुपस्थित रहें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, दस्तावेज के अवलोकन से उक्त लकड़ी तहसीलदार द्वारा जब्त कर ग्राम विकास अधिकारी को सिपूद की गई है। चूंकि प्रतिवादी द्वारा बिना अनुमति के हरे वृक्ष काटे गये हैं, ऐसी स्थिति में "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 86 - अवैध रीति से हटाये जाने पर शास्तियां के बिन्दु संख्या 1 के तहत "प्रतिवादी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता उचित है। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर स्वीकार किया जाता है।

#### -: आदेश :-

परिणामस्वरूप वादी का वाद धारा 84 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम रामेला पटवार हल्का रावना तहसील भीण्डर की आराजी न. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153 पर प्रतिवादी द्वारा काटे खैर के वृक्ष जिनका वजन 11.50 क्विंटन के हिसाब से 11 वृक्ष गानते हुये 11 वृक्ष के लिये प्रतिवादी को 100/- एक सौ रूपया प्रति वृक्ष अर्थात् कुल 1100/- ग्यारह सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं दोहराएंगे। तहसीलदार भीण्डर को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी से अर्थदण्ड की राशि वसूल की जावे एवं जब्तसुदा लकड़ी की निलामी की जाकर निलामी राशि राजकोष में जमा करा पालना से अवगत करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।



## डिक्री व मुकद्द में इब्तादाई

(आ 20 रूल 6-7 जाब्त दीवानी)

### न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 94/24 (वाद)

GCMS NO: 2024/275

अनवान

1. श्री राजस्थान राज्य भूमिधारी जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री बाबरु पिता मेधा रावत निवासी रामेला रावना तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रतिवादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 94/24 (वाद)

यह मुकद्दमा आज वारते इन्फिरसा लकतई रुवरु श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिनजानि वमुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :- परिणामस्वरूप वादी का वाद धारा 84 राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम रामेला पटवार हल्का रावना तहसील भीण्डर की आराजी न. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153 पर प्रतिवादी द्वारा काटे खैर के वृक्ष जिनका वजन 11.50 क्विंटल के हिसाब से 11 वृक्ष मानते हुये 11 वृक्ष के लिये प्रतिवादी को 100/- एक सौ रूपया प्रति वृक्ष अर्थात कुल 1100/- ग्यारह सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं दोहराएंगे। तहसीलदार भीण्डर को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी से अर्थदण्ड की राशि वसूल की जावे एवं जब्तसुदा लकडी की निलामी की जाकर निलामी राशि राजकोष में जमा करा पालना से अवगत करावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलारा सुनाया गया।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.05.2025 को जारी की गई।